—अप्रार्थीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अभिभाषक उपस्थितिः—
1 श्री भागीरथ मूण्ड (प्रार्थीगण की ओर से)
2 श्री मोहनलाल गोदारा (अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 15)

—:निर्णय:—

दिनांकः— 02.07.2025

प्रकरण के वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 तथा प्रतिवादीगण 1 ता 7 व 17 ता 35 की एक पुश्तैनी अविभाजित कृषि भूमि वाके गांव नापासर तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है। जिसके खसरा नंबर 1335 रकबा 9.55 हैक्टयर, खसरा नंबर 1459 रकबा 4.51 हैक्टयर, खसरा नंबर 1463 रकबा 1.04 हैक्टयर, खसरा नंबर 1464 रकबा 1.08 हैक्टयर, खसरा नंबर 1465 रकबा 2.35 हैक्टयर, खसरा नंबर 1537 रकबा 5.8200 हैक्टयर, खसरा नंबर 1621 रकबा 6.3200 हैक्टयर, खसरा नंबर 1644 रकबा 10.4800 हैक्टयर, खसरा नंबर 1663 रकबा 8.7300 हैक्टयर, खसरा नंबर 1757/1644 रकबा 2.6100 हैक्टयर, खसरा नंबर 499 रकबा 6.3900 हैक्टयर कुल खसरे 11 कुल रकबा 58.78 हैक्टयर स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 का 1/48 हिस्सा और प्रतिवादी संख्य 21 ता 24 का 1/48 हिस्सा है, खातेदार रूखमा फौत हो चुकी है उसका भी 1/48 हिस्सा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 व 21 ता 24 का अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 16 का खसरा नंबर 1644 व खसरा नंबर 1757/1644 में अपनी ढाणी व कुण्ड बनाकर काश्त कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने खसरों की भूमि पर पक्की प्याऊ भी बना रखी है।

सहायक क...
बीकानेर श...

प्रकार उक्त दोनों खसरों पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 16 का कब्जा काश्त है। सह–खातेदार रूखमा पत्नी स्व. हजारीराम फौत हो चुकी है जिनके एकमात्र वारिस उसकी पुत्री जमना थी जिसका भी निःसंतान वसीयती स्वर्गवास हो चुका है इन दोनों मृतक खातेदारों का उक्त कृषि भूमि में 1/96–1/96, 1/48 हिस्सा है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 16 के दादा कानीराम के भाई हजारीमल की पुत्री है जिसके द्वितीय श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 16 है, इस प्रकार रूखमा व जमना के उक्त 1/48 हिस्से का खातेदार घोषित करवाना चाहते हैं। सह–खातेदार गंगा पत्नी कालूराम भी लाऔलाद फौत हो चुकी है जिनका राजस्व रिकॉर्ड में 3/8 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 16 जमना देवी के 3/8 हिस्से के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाना चाहते हैं क्योंकि मृतक खातेदार गंगादेवी के प्रार्थीगण का पूर्वज हजारीमल, मोटाराम व कानीराम के वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 16 होने के कारण गंगा पत्नी कालूराम के 3/8 हिस्से में से 1/2 का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण के पिता स्व. सत्यनारायण का स्वर्गवास दिनांक 27.09.2003 को हो चुका है जिनके प्रार्थीगण विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करवाने के अधिकारी है इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 16 अपने पिता खातेदार स्व. शंकरलाल के कानूनी वारिस होने के कारण अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान मं खसरा नंबर 1644 व 1757/1644 में फसल काश्त कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 साथ में अन्य व्यक्तियों के साथ वादगत भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचने की फिराक में है तथा किसी अन्य को विक्रय पत्र करवा कर इंतकाल दर्ज कर सकता है ऐसी स्थिति में लिहाजा प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार फरमायी जावे कि वादगत भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 को मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 15.11.2022 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कृषि भूमि वाके गांव नापासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 1335 रकबा 9.55 हैक्टयर, खसरा नंबर 1459 रकबा 4.51 हैक्टयर, खसरा नंबर 1463 रकबा 1.04 हैक्टयर, खसरा नंबर 1464 रकबा 1.08 हैक्टयर, खसरा नंबर 1465 रकबा 2.35 हैक्टयर, खसरा नंबर 1537 रकबा 5.8200 हैक्टयर, खसरा नंबर

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

रकबा 6.3200 हैक्टयर, खसरा नंबर 1644 रकबा 10.4800 हैक्टयर, नंबर 1663 रकबा 8.7300 हैक्टयर, खसरा नंबर 1757/1644 रकबा हैक्टयर, खसरा नंबर 499 रकबा 6.3900 हैक्टयर कुल खसरे 11 कुल 58.78 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड यथास्थिति नियत रखने बाबत न्यायालय द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 15 की ओर से जरिये मुख्त्यारआम के, अभिभाषक श्री मोहनलाल गोदारा द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि के खातेदार व सहखातेदार है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अस्थायी निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है तथा प्रार्थीगणों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है तथा न ही आज दिनांक तक अपना नाम दर्ज कराने के लिए तहसील में प्रार्थना पत्र पेश किया इस कारण जमाबंदी में इनका नाम नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में अस्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अस्थायी निशेधाज्ञा की आड़ में संपूर्ण भूमि पर काबिज होना चाहते हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में तमाम खातेदारों को तथा उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण है, खारिज योग्य है।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना-पत्र 212 आरटीए सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण श्री भागीरथ मूण्ड द्वारा कथन किया गया कि श्रीमान उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित वादपत्र वादगत भूमि में प्रार्थीगण के घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है इसमें प्रार्थीगण का हिस्सा तय होना है। अस्थायी निषेधाज्ञा हटा दिए जाने की स्थिति में भूमि आगे विक्रय कर दी जाएगी। एक खातेदार है गंगा देवी उनके भी वारिस है उनका हिस्सा तय होना है, दावे में हिस्सा तय होना है, साक्ष्य सबूत के आधार पर पक्षकारान का हिस्सा तय किया जाना है, हिस्से से अधिक भूमि बेचने की फिराक में है अतः दावे के निस्तारण तक अस्थायी निशेधाज्ञा यथावत रखी जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 15 श्री मोहनलाल गोदारा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि के खातेदार व सहखातेदार है ऐसे व्यक्तियों के

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है तथा प्रार्थीगणों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है तथा न ही आज दिनांक तक अपना नाम दर्ज कराने के लिए तहसील में प्रार्थना पत्र पेश किया इस कारण जमाबंदी में इनका नाम नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में अस्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अस्थायी निशेधाज्ञा की आड़ में संपूर्ण भूमि पर काबिज होना चाहते हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में तमाम खातेदारों को तथा उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण है, खारिज योग्य है। इस परिप्रेक्ष्य में दृष्टांत 2019 (2) RRT 777 SUPREME COURT, 2018 (1) RRT 405, RRT 2022(2) 807 पेश किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए दिनांक 15.11.2022 को पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.11.2022 को वादगत भूमि कुल तादादी 58.78 हैक्टयर में प्रार्थीगण के हक व हिस्से पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति नियत रखने बाबत न्यायालय द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। **उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए से संबंधित वाद पत्र धारा 53, 88, 188 आरटीए के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह अनुतोष चाहा गया है कि <u>वादीगण/प्रार्थीगण</u> व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 को वादगत भूमि में सह–खातेदार मृतक रूखमा देवी व जमना देवी के 1/48 हिस्से का तथा मृतक सह–खातेदार स्व. गंगा पत्नी कालूराम के 3/8 हिस्से में से 1/2 हिस्से अर्थात् कुल 7/32 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा <u>वादीगण/प्रार्थीगण</u> को उसके पिता सत्यनारायण के स्थान पर तथा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 को उनके पिता शंकरलाल के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज**

सहायक क
बीकानेर शहर

किया जाकर, इसी अनुरूप वादगत भूमि का खाता विभाजन बाई मेटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 का यह तर्क है कि प्रार्थीगण उक्त वादगत भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज नहीं है जबकि अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा जिनके खिलाफ जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली के अवलोकन व उपलब्ध रिकॉर्ड के ध्यानपूर्वक अध्ययन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन व उभयपक्ष की बहस उपरांत यह है कि वादगत भूमि में स्वयं प्रार्थीगण वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज नहीं है, उक्त भूमि में प्रार्थीगण अपने आपको खातेदार स्व. सत्यनारायण (1/288 हिस्सा दर्ज), का वारिस बताते है, खातेदार सत्यनारायण की मृत्यु (दिनांक 27.09.2003) होने उपरांत विवादित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हुई है, प्रतिकूल कब्जे बाबत भी प्रार्थीगण किसी भी अभिलेख से पुष्ट करने में असफल रहे हैं जबकि इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है तथा विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि सह–खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार होता है ऐसी स्थिति में सह–खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाना न्यायसंगत नहीं है तथा उन्हें अपने हिस्से की भूमि बेचान करने के लिए सह–खातेदार की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है तथा इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 रिकोर्डेड खातेदार है। वादगत भूमि में सभी पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्णय वादपत्र में किया जाना है किंतु दावे के निर्णय

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

तक रेकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः सुस्पष्ट मामलों में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान किया जा सकता है, वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 रिकॉर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के हक में जाता है तथा इसी अनुरूप सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है, जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है– सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रार्थीगण के पक्ष में दावा फैसल होता है तो इस दौरान हुए अंतरण शून्य समझे जावेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा की यथास्थिति कायम रखने से अप्रार्थी को हानि कारित होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर पूर्व प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा की अवधि आगे बढाया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमन शर्मा)
आरएएस
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

सहायक कलक्टर
बीकानेर